न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0 (Crime Against Women) मुरादाबाद।

वाद सं0-1570/2022

धारा-12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

थाना-मुगलपुरा

श्रीमती शबाना परवीन बनाम मौ0 वसीम आदि ।

20-12-2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। बार-बार पुकार के बाद भी वादिनी उपस्थित नहीं आयी। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि व्यथिता/वादिनी द्वारा उपरोक्त वाद दिनांक 19-07-2022 योजित किया था तथा न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर उपरांत दिनांक 26-08-2022 डी0 पी0 ओ 0 आख्या हेतु आदेश पारित किया गया था। व्यथिता/वादिनी पत्रावली पर विगत कई नियत तिथियों पर लगातार अनुपस्थित चल रही है और न ही उसके द्वारा पैरवी की जा रही है, न ही प्रार्थिनी द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में हाजिरी माफी न्यायालय में दी गयी है। वादिनी को अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 19-10-2023 को अंतिम अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु वादिनी उपस्थित नहीं आयी तथा निरन्तर गैर हाजिर रही। चूंकि वादिनी व्यथिता/वादिनी के आचरण से यह स्पष्ट है कि वह उपरोक्त वाद चलाने की इच्छुक नहीं है। अतःउक्त वाद वादिनी की अनुपस्थिति व अदम पैरवी के कारण वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः श्रीमती शबाना परवीन द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा-12 डी0 वी0 एक्ट अनुपस्थिति व अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(शिल्पी सिंह)
सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0
(Crime Against Women),
मुरादाबाद।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3734